आर.ई.ओ.–154

जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 74 दिनांक 09.04.08

आदेश

विषयः– वर्ष 2008–09 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम मे।

*****

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2003 तक के सामान्य कृषि श्रेणी के विचाराधीन आवेदकों, समस्त स्पेशल श्रेणी के आवेदको समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों को वर्ष 2008–09 में मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है । अतः उक्त नये कृषि कनेक्शनो को जारी करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते है :–

1. मांग पत्र जारी करना :–

(i) सभी श्रेणीयो के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नही कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालो में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

(ii) उपरोक्त मे से उपखण्डवार 50 प्रतिशत आवेदको के मांग पत्र 15 अप्रेल 2008 तक जारी किये जावेगें तथा शेष आवेदकों के मांग पत्र 15 जुलाई से 31 जुलाई 2008 तक जारी किये जावेगे। इसके पहले व इसके बाद मांग पत्र जारी नही किये जावेंगे।

2. कृषि कनेक्शनो की प्राथमिकता :–

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

3. कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य :–

15 अप्रेल 2008 तक जारी किये गये मांग पत्रों के कुल आवेदकों की जमा राशि के 1/3 कनेक्शन अगस्त में 1/3 सितम्बर में तथा 1/3 अक्टूबर 08 में किये जायेगें इसी प्रकार 31 जुलाई 08 तक जारी मांग पत्रों के कुल जमा राशि के 1/3 नवम्बर,, 1/3 दिसम्बर 08 एवं 1/3 जनवरी 09 मे कनेक्शन जारी किये जायेगे। मांग पत्र मे आवेदको को कनेक्शन जारी करने का लगभग समय सुनिश्चित करें।

निरन्तर.....

4. **कृषि कनेक्शनों के लिये सामान की ढुलाई :–**

कृषि कनेक्शनों के लिये जरुरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रुपये अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वंय करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई राशि चार्ज नहीं की जायेगी।

5. **कृषि कनेक्शनों के लिये लाईन एंव सब स्टेशन लगाने का कार्य :–**

कृषि कनेक्शनो हेतु 11 केवी लाईन तथा 11/0.4 केवी सब–स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी रेट पर कराया जा सकता है एंव यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब–स्टेशन खडी करने में अच्छी गुणवता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के मांग पत्र पर प्रदर्शित समयानुसार कृषि कनेक्शन जारी हो।

(ए. एम. लोढा)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एंव आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:–

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- वित्तीय निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (एम.एम एण्ड टी डब्लू) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुंख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी , जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय अध्यक्ष एंव प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/टी.डब्लू/वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/ श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता(/पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण)जोविविनिलि.....................
....

(आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)

- जनसम्पर्क अधिकारी जोविविनिलि,जोधपुर

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एंव आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर